भगतसिंह जनअधिकार यात्रा

बेरोज़गारी, महँगाई, भ्रष्टाचार, साम्प्रदायिकता और मेहनतकश जनता की लूट के ख़िलाफ़ !

रोज़गार, शिक्षा, चिकित्सा, आवास और जुझारू जनएकजुटता के लिए !

मेहनतकश के हालात

सहयोग राशि : 10 रुपये

अगर हम नहीं लड़ते
अगर हम नहीं लड़ते जाते
तो दुश्मन
अपनी संगीनों से
हमें ख़त्म कर देगा
और फिर
हमारी हड्डियों की ओर
इशारा करके कहेगा
देखो,
ये गुलामों की हड्डियाँ हैं
गुलामों की!

भारत की क्रान्तिकारी मज़दूर पार्टी के योगेश द्वारा प्रकाशित

बजा बिगुल मेहनतकश जाग!
चिंगारी से लगेगी आग!

वर्तमान समय में पूरे देश के शहरी और ग्रामीण मज़दूर कड़ी मेहनत, कमरतोड़ महँगाई, बदहाली के बोझ तले पिस रहे हैं। मज़दूर अपना और अपने बच्चों का किसी तरह पेट भरने के लिए धन्नासेठों के कोल्हू में बैल की तरह पेरे जा रहे हैं। हड्डी-तोड़ मेहनत के बाद भी मज़दूरी इतनी कम है कि किसी तरह गुज़र-बसर हो पा रहा है। ऊपर से कारख़ानों में इस तरह के काम पर भी छँटनी की तलवार लटकती रहती है और ग्रामीण इलाकों में भी पूरे महीने काम नहीं मिलता। स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि बड़ी संख्या में मज़दूर हताशा-निराशा में आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा 2021 में जारी किये गये आँकड़ों के मुताबिक़ 2019 से 2021 के बीच 1 लाख 12 हज़ार दिहाड़ी मज़दूरों ने आत्महत्या की है। इसी दौरान खेती से जुड़े 31,839 लोगों ने आत्महत्या की जिसमें लगभग आधी संख्या खेतिहर मज़दूरों व आधी गरीब किसानों की है।

शहरी और ग्रामीण मज़दूरों के भयानक शोषण और तकलीफ़ को लूट और झूठ पर टिके मीडिया द्वारा पर्दा डालकर छुपा दिया जाता है। लोगों को गुमराह करने के लिए दिन-रात देश की तरक्की की एक गुलाबी-सी तस्वीर पेश की जाती है। इसमें मज़दूर कहीं नहीं होते, जिन्होंने सुई से लेकर जहाज़ तक का निर्माण किया है, जिनके कन्धों पर पूरी सभ्यता का बोझ टिका है। आइए, मज़दूरों के काम के घण्टे, मज़दूरी, काम की स्थितियों, दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों, श्रम क़ानूनों से मिलने वाली सुरक्षा और 'ग़रीब का बेटा' बनने का ड्रामा खेलने वाले मोदी के मज़दूर-

विरोधी काले कारनामों पर तथ्यों तथा आँकड़ों के ज़रिये नज़र डालते हैं।

मज़दूरों के काम के घण्टे

भारत में विभिन्न पेशों में लगे मज़दूरों की संख्या **48 करोड़** से भी अधिक है। इसमें से मात्र 2.**75 करोड़** मज़दूर यानी कुल मज़दूर आबादी का **6 प्रतिशत** ही संगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जहाँ काम के घण्टों, ओवरटाइम, सामाजिक सुरक्षा से सम्बन्धित श्रम क़ानून एक हद तक लागू होते हैं। बाकी **94 प्रतिशत** मज़दूरों के लिए काम के घण्टों, न्यूनतम मज़दूरी, ओवरटाइम, सामाजिक सुरक्षा आदि के लिए बने क़ानून भद्दे मज़ाक के अलावा कुछ नहीं हैं। मई दिवस के शहीदों की बदौलत पूरी दुनिया में मज़दूरों के लिए क़ानूनी तौर पर 8 घण्टे के कार्यदिवस को मान्यता मिली थी। हमारे देश में भी आज़ादी के बाद 8 घण्टे काम का नियम बनाया गया। लेकिन हक़ीक़त यह है कि ज़्यादातर मज़दूर 12-12, 14-14 घण्टे सिंगल रेट पर ओवरटाइम के साथ काम करने पर मजबूर हैं। कार्यस्थल मज़दूरों की रिहाइश से दूर होने के चलते बहुत से मज़दूरों के आने-जाने का समय भी जोड़ दिया जाये तो एक दिन की मज़दूरी हासिल करने में उनको 16-17 घण्टे तक लगाना पड़ता है। काम के घण्टों के मामले में भारत उन देशों में शामिल है, जहाँ तकनीकी उन्नति के बावजूद एक सप्ताह में काम के घण्टे सबसे ज़्यादा हैं। आँकड़ों के मुताबिक़ 1970 में मज़दूर 1,976 घण्टे सालाना काम करते थे, जो 2020 में बढ़कर 2,174 घण्टे हो गये यानी इसमें 10 फ़ीसदी का इज़ाफ़ा हुआ। नीचे दी गयी तालिका विभिन्न देशों में काम के घण्टों का अन्तर दर्शाती है -

देश	काम के घण्टे प्रति सप्ताह
फ्रांस	35
ऑस्ट्रेलिया	38
दक्षिण कोरिया	40
अमेरिका	40
रूस	40
भारत	**48** **(नये लेबर कोड के मुताबिक़ 12 घण्टे प्रति दिन)**

मज़दूरी कम होने, मज़दूरी में मामूली बढ़ोत्तरी की तुलना में महँगाई में तेज़ बढ़ोत्तरी होने, रोज़ाना काम न मिलने और भयंकर बेरोज़गारी के कारण कई बार मज़दूर ख़ुद 8 घण्टे से ज़्यादा काम की तलाश में रहते हैं। जिससे वो महीने के ख़र्च लायक पैसा जुटा सकें।

मज़दूरी

देश के शहरी और ग्रामीण मज़दूरों की मज़दूरी इंसान की तरह जीने की शर्त से भी नीचे है। श्रम-मन्त्रालय के ही आँकड़ों के मुताबिक़ भारत में 45 **फ़ीसदी** मज़दूरों की मज़दूरी **10 हज़ार रुपये से भी कम** है, वहीं महिला मज़दूरों (कुल मज़दूर आबादी का 32 **फ़ीसदी**) को 5 **हज़ार रुपये से भी कम** मज़दूरी मिलती है। जबकि सातवें वेतन आयोग की ओर से निर्धारित की गयी न्यूनतम मासिक आय 18 हज़ार रुपये है। नीचे दिया गया ग्राफ़ विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित और उपलब्ध ऑनलाइन नवीनतम न्यूनतम मज़दूरी दरों को दर्शाता है। इन आँकड़ों को देखते हुए यह भी याद रखने की ज़रूरत है कि ये अधिसूचित मज़दूरी है न कि भुगतान की जाने वाली मज़दूरी! हक़ीक़त यह है कि सभी राज्यों में, घोषित की गयी न्यूनतम मज़दूरी अधिकांश मज़दूरों को नहीं मिलती है।

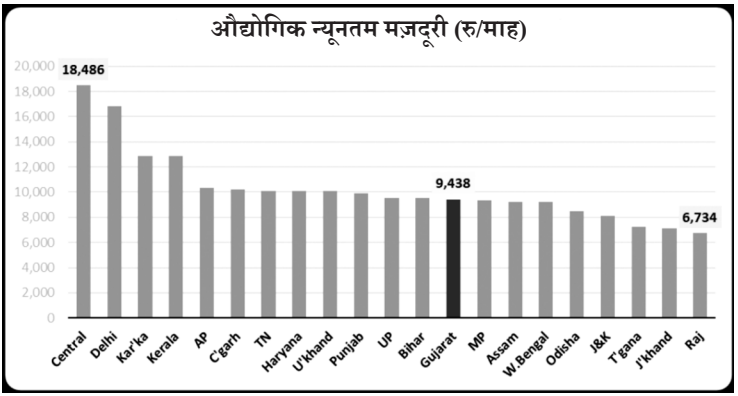

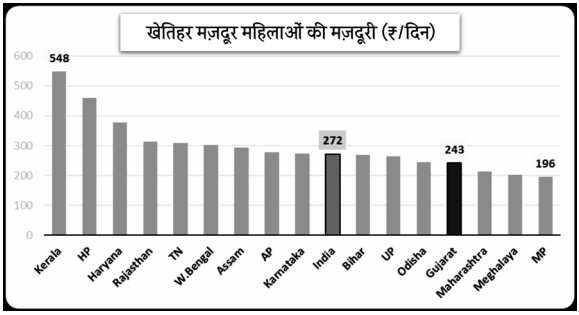

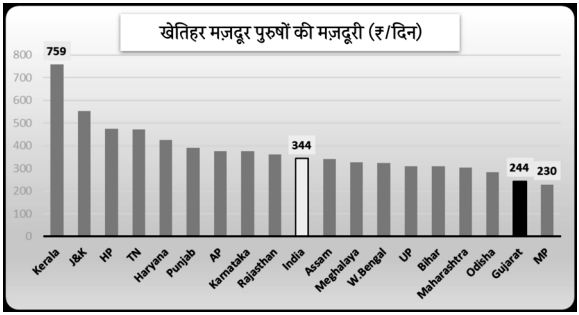

ग्रामीण मज़दूरों की स्थिति और भी बुरी है। ग्राफ़ के मुताबिक़ भारत में कृषि क्षेत्र में औसत मज़दूरी की दर 344 **रूपये प्रति दिन** है। पर सच्चाई यह है कि खेतों, भट्ठों, भवन निर्माण आदि में काम करने वाले बहुत से मज़दूर **प्रतिदिन 200-250 रुपये** रेट से काम करने पर मजबूर हैं। ग्रामीण मज़दूरों के लिए काम की नियमितता, समय पर मज़दूरी, सुरक्षा और मुआवज़ा आदि का कोई सवाल ही नहीं उठता है।

'मनरेगा' के तहत पूरे देश में लगभग **13 करोड़ मनरेगा मज़दूर** पंजीकृत हैं। इनके लिए अलग-अलग राज्य सरकारों ने 200 रुपये से लेकर 250 रुपये तक की मज़दूरी का निर्धारण किया है। यह योजना और इसमें तय भुगतान अपने आप में ग्रामीण मज़दूरों के प्रति सरकार के रवैये के ख़ुलासे के लिए पर्याप्त है। 100 दिन के 200 रूपये की दर से आय में किसी परिवार का गुज़ारा चल सकने की बात सोचना ही मूर्खता है। जबकि सच्चाई यह है कि ज़्यादातर जगहों पर 100 दिन की जगह 30-40 दिन से ज़्यादा काम मिल ही नहीं रहा है। मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार से हर

कोई परिचित है लेकिन ख़ुद केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत विभिन्न राज्यों को दिये जाने वाले 7 हज़ार 257 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया गया है।

इसी तरह गाँवों-शहरों में काम करने वाली आँगनवाड़ी, आशा जैसे स्कीम वर्करों की बुरी स्थिति है। पूरे देश में लगभग **39 लाख स्कीम वर्कर्स (आशा और आँगनवाड़ी)** काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के लगभग सभी बुनियादी काम जिसमें पोलियोरोधी ड्रॉप पिलाने से लेकर पोषाहार वितरण और छोटे बच्चों की प्री-स्कूलिंग तक का काम इन्हीं के ज़िम्मे है। नियमित और अतिआवश्यक काम करने वाले इन स्कीम वर्करों को सरकार अपना कर्मचारी मानना तो दूर, एक बहुत मामूली-सा मेहनताना देती है। अगर हरियाणा, केरल, दिल्ली (जहाँ 9 से 11 हज़ार रूपये तक मेहनताना मिलता है) को छोड़ दिया जाये तो ज़्यादातर जगहों पर आँगनवाड़ी और आशाकर्मियों को मिलने वाला मेहनताना मात्र 2500-5000 रूपये के बीच है। वैसे तो आज के महँगाई के ज़माने में 9 से 11 हज़ार रुपये मानदेय भी क्या है? नियमित कर्मचारी का दर्ज़ा देने, तय मेहनताने के हिसाब से बकाया चुकाने आदि को लेकर पिछले दिनों दिल्ली में 38 दिनों तक (31 जनवरी 2022 से 9 मार्च 2022) तक 'दिल्ली स्टेट आँगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हेल्पर्स यूनियन' के नेतृत्व में 22,000 आँगनवाड़ीकर्मियों की शानदार हड़ताल चली। केजरीवाल सरकार ने हड़ताल को तोड़ने के लिए टर्मिनेशन लेटर, शो कॉज़ नोटिस आदि के ज़रिये डराकर, फ़र्ज़ी एफ़आईआर दर्ज़ कराकर हड़ताल को तोड़ने की लाख कोशिशें कीं, लेकिन हड़ताल और भी मज़बूत होती गयी। नतीजतन, केजरीवाल सरकार ने केन्द्र की मोदी सरकार के साथ साठ-गाँठ करके हड़ताल पर हेस्मा क़ानून लगाकर उस पर छह माह की रोक लगवा दी और 884 महिलाओं को टर्मिनेट कर दिया। उक्त यूनियन क़ानूनी लड़ाई के साथ-साथ अनेक रूपों में यह संघर्ष अभी भी चला रही है और कई मामलों में सरकार व प्रशासन को घुटने टेकने पड़े हैं।

सरकारी विभागों के कर्मचारियों के अधिकारों पर हमले तेज़ हुए हैं। पेंशन की पुरानी स्कीम 2005 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में ही ख़त्म कर दी गयी थी। अब मोदी सरकार द्वारा कर्मचारियों के कई भत्तों को ख़त्म करने के अलावा विभागों को ही निजी हाथों में बेचा जा रहा है। परमानेण्ट भर्तियों पर रोक लगा दी गयी है। विभागों में कर्मचारियों की संख्या कम होने से कर्मचारियों को

ओवरटाइम तक करना पड़ रहा है। संगठित क्षेत्र के मज़दूरों को श्रम-क़ानूनों से अपेक्षाकृत जो अधिक सुरक्षा हासिल थी वो भी नये श्रम क़ानूनों द्वारा छीन लेने की तैयारी हो चुकी है।

काम की स्थितियाँ

पूरे देश में मज़दूर बेहद अमानवीय और ख़तरनाक स्थितियों में काम करते हैं। ज़्यादातर कारख़ानों में हेलमेट, दस्ताने, जूते जैसी मामूली चीज़ों के अलावा सुरक्षा उपकरणों का बेहद अभाव है। बहुत से कारख़ानों की इमारतें ज़र्ज़र है। हवादार खिड़कियाँ, ऊँची छत, दुर्घटना होने पर त्वरित बचाव के साधन नहीं हैं। अत्याधुनिक मशीनों पर तेज़ गति से काम करने, अधिक काम से होने वाली थकान और मालिकों द्वारा स्पीड कम न होने देने के लिए सेंसर हटवा देने आदि से आये दिन मज़दूर अपंग और मौत के शिकार होते रहते हैं। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले बड़ी संख्या में मज़दूरों को न तो ई.एस.आई. की कोई सुविधा है न ही बीमा आदि की। श्रम विभाग और पुलिस तो वैसे भी मालिकों के पक्ष में ही सक्रिय होते हैं। दुर्घटना हो जाने पर मालिक कुछ खानापूर्ति करके बाहर का रास्ता दिखा देते हैं और कई बार वो भी नहीं करते। मज़दूरों के बुरी तरह घायल होने, अपंग होने या मरने पर भी कोई क़ानूनी कार्रवाई की जगह कुछ ले-देकर मालिक और प्रशासन मिलकर सारा मामला रफ़ा-दफ़ा कर देते हैं।

एक पेंच गिरता है ज़मीन पर
ओवरटाइम की इस रात में
सीधा ज़मीन की ओर, रोशनी छिटकाता
यह किसी का ध्यान आकर्षित नहीं करेगा
ठीक पिछली बार की तरह
जब ऐसी ही एक रात में
एक आदमी गिरा था ज़मीन पर
-जू लिझी

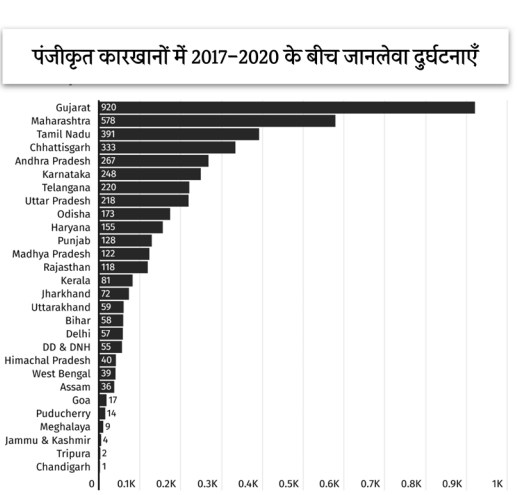

श्रम और रोज़गार मंत्रालय के 'महानिदेशालय फैक्टरी सलाह सेवा और श्रम संस्थान' के आँकड़ों के अनुसार, साल 2017 और 2020 के बीच, भारत के पंजीकृत कारख़ानों में दुर्घटनाओं के कारण **हर दिन औसतन** 3 **लोगों की मौत हुई और 11 घायल हुए हैं।** भारत में 2017 और 2020 के बीच पंजीकृत कारख़ानों में **हर साल औसतन 1,109 मौतों और 4,000 से ज़्यादा मज़दूरों के घायल** होने के आँकड़े सामने आये हैं। **लेकिन ये आँकड़े भी दुर्घटनाओं की सही तस्वीर पेश नहीं करते क्योंकि जहाँ एक तरफ़ बड़े पैमाने पर मज़दूर अनौपचारिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ़ औपचारिक क्षेत्रों में होने वाली सभी घटनाओं की सूचना दर्ज नहीं की जाती है।** अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत में **रोजाना 38 भवन निर्माण मज़दूरों की काम के समय दुर्घटना से मौत** होती है। 11 नवम्बर, 2022 को दिल्ली के श्रम विभाग द्वारा जारी आँकड़ों के मुताबिक़, दिल्ली में अक्टूबर 2022 तक 13,464 पंजीकृत कारख़ाने थे। 2018 और 2022 के बीच 118 मज़दूर कारख़ाने में होने वाले हादसों के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। इन मौतों के लिए ज़िम्मेदार मालिकों का आम तौर पर कुछ भी नहीं बिगड़ता है। इसी अवधि के दौरान केवल 14 लोगों को कारख़ाना अधिनियम, 1948 के तहत अपराधों के लिए सज़ा मिली। ग्रामीण इलाकों में खेतों, भट्ठों, भवन निर्माण आदि में काम करने वाले मज़दूर दुर्घटनाग्रस्त

होते रहते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम क़ानून और उससे सम्बन्धित कोई ढाँचा ही नहीं है। **इस स्थिति को सुधारने की जगह मोदी सरकार द्वारा 2020 में औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य क़ानून सुधारों** (OSH) **को पारित किया है, जिसमें कारख़ानों को लेबर इंस्पेक्टर से जाँच न कराने की छूट जैसी तमाम ढिलाई देने की तैयारी कर ली गयी है।**

मज़दूरों के रिहाइश की स्थिति

कारख़ानों में काम करने वाले ज़्यादातर मज़दूर (अधिकतर प्रवासी) लॉजों, नालों, रेल लाइनों जैसी जगहों के पास बनी गन्दी झुग्गियों और फुटपाथ पर रहते हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के 69वें दौर में पाया गया कि देश में **33,510 झुग्गी बस्तियाँ** थीं जिनमें से 13,761 को अधिसूचित किया गया था और 19,749 ग़ैर अधिसूचित थीं। जनगणना-2011 के विवरण के अनुसार **139.2 लाख झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों की संख्या 654.9 लाख थी।** समूचे देश की क़रीब **5.4 प्रतिशत जनसंख्या और 17.4 प्रतिशत शहरी जनसंख्या झुग्गी-झोपड़ियों में रहती है। इन झुग्गी बस्तियों में साफ़ पानी, सफ़ाई, स्वास्थ्य सेवाओं जैसी बुनियादी सुविधाएँ भी नहीं हैं।** खुली नालियाँ कचरे से बजबजाती रहती हैं। सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति बहुत बुरी है। तरह-तरह की बीमारियाँ अक्सर फैलती रहती हैं। इन झुग्गी-बस्तियों में रहने वाले लोगों का वोट पाने के लिए विभिन्न पूँजीवादी पार्टियों के नेता इनका निर्वाचन कार्ड ज़रूर बनवा देते हैं लेकिन यह बस्तियाँ कब उजाड़ दी जाएँ इसका कोई ठिकाना नहीं होता। कई बार बिना सूचना दिये, सामान निकालने का समय दिये बिना बस्तियों को ज़मींदोज़ कर दिया जाता है। गर्मियों में आये दिन इन बस्तियों में

आग लगती रहती है जोकि अक्सर लगवायी जाती है। अपना ख़ून-पसीना जला कर, पाई-पाई जोड़कर मज़दूर जो थोड़ी बहुत गृहस्थी जोड़ भी पाये होते हैं वो कभी सरकारी बुलडोज़र तो कभी आग द्वारा तबाह हो जाती है और इसका कोई मुआवज़ा तक नहीं मिलता।

लॉजों के छोटे-छोटे कमरों में कई-कई मज़दूर ठुंसे रहते हैं। बहुतरे कमरों में मज़दूर पालियों में रहते हैं। लॉजों में रहने वाले मज़दूर कारख़ाना मालिकों के बाद मकान मालिकों की ज़्यादती सहने के लिए मजबूर होते हैं। ज़्यादातर लॉजों के मालिक राशन-गल्ले की दुकान खोलकर बैठ जाते हैं । मज़दूरों को मजबूर किया जाता है कि वे ख़राब क्वालिटी का सामान मकान मालिक की दुकान से ही खरीदें अन्यथा उनसे कमरा खाली करवा दिया जाता है।

ग्रामीण इलाक़ों में भी बुआई-कटाई के समय खेतों, भट्ठों, भवन निर्माण आदि में काम करने वाले ख़ास तौर पर प्रवासी मज़दूरों की स्थिति बहुत बुरी होती है। ये मज़दूर घास-फूस या ईंट जोड़कर छोटे-छोटे अस्थाई कमरानुमा जगहों में रहते हैं और बिना बिजली के भयंकर सर्दी-गर्मी झेलते रहते हैं।

मेहनत की लूट पर टिकी पूँजीपतियों की सोने की लंका

देश में मेहनतकश जनता की इस स्थिति को जानने के बाद आइये देखते हैं कि मज़दूरों के मेहनत की लूट पर सोने की लंका बनाने वाले पूँजीपतियों की क्या स्थिति है?

1984 में जहाँ कुल उत्पादन लागत का 45 प्रतिशत हिस्सा मज़दूरी के रूप में दिया जाता था वो 2010 तक घटकर 25 प्रतिशत रह गया। संगठित क्षेत्र में पैदा होने वाले हर 10 रूपये में मज़दूर वर्ग को केवल 23 पैसे मिलता है। ऑटो सेक्टर में एक विश्लेषण के अनुसार तकनीकी विकास के हिसाब से **ऑटो सेक्टर का मज़दूर 8 घण्टे**

के कार्यदिवस में अपनी मज़दूरी के बराबर मूल्य मात्र 1 घण्टे 12 मिनट में पैदा कर देते हैं जबकि 6 घण्टे 48 मिनट मज़दूर बिना भुगतान के काम करता है। मज़दूरों की मेहनत की इसी लूट पर पूँजी का अम्बार टिका होता है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट 'सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट: द इण्डिया स्टोरी' के मुताबिक़, **भारत में ग़रीबों की संख्या 23 करोड़ है जबकि दूसरी ओर वर्ष 2020 में अरबपतियों की संख्या 102 थी जो 2022 में बढ़कर 166 हो गयी। 1981 में भारत के सबसे ऊपर के 10 प्रतिशत अमीरों की सम्पदा देश की कुल सम्पदा की 45 फ़ीसदी थी जो 2012 में बढ़कर 63 फ़ीसदी और 2022 में बढ़कर 80 फ़ीसदी से भी अधिक हो गयी। सबसे ऊपर के 1 प्रतिशत धन्नासेठों के पास देश की 40 फ़ीसदी से भी अधिक सम्पदा इकट्ठी हो गयी है जबकि नीचे से 50 प्रतिशत लोगों के पास कुल सम्पदा का मात्र 3 फ़ीसदी है।**

कोरोना महामारी के दौरान जब आम जनता के खाने के लाले पड़ गये थे उस समय भी मोदी की कृपा से भारत के अरबपतियों की दौलत में **प्रतिदिन 3 हज़ार 608 करोड़ रुपये** का इज़ाफ़ा हुआ है। आँकड़ों के मुताबिक़ 2020 से 2021 के बीच पूँजीपतियों की सम्पत्ति में **121 फ़ीसदी** की बढ़ोत्तरी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक़ भारत के **100 सबसे अमीर लोगों की सम्पत्ति 660 अरब डॉलर (करीब 54 लाख 12 हज़ार करोड़ रुपये) के पार** जा चुकी है। इससे भारत का पूरा बजट 18 महीने तक चलाया जा सकता है। **2019 में मोदी सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स की स्लैब को 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत और नई इन कॉरपोरेटेड कम्पनियों के लिए 15 प्रतिशत कर दिया था। इससे 1.84 लाख करोड़ का घाटा हुआ। सरकार ने इस घाटे को पूरा करने के लिए पेट्रोल व डीज़ल के रेट और जीएसटी की दरों में वृद्धि की। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार 64 फ़ीसदी जीएसटी 50 फ़ीसदी गरीब भर रहे हैं, जबकि टैक्स का केवल 10 फ़ीसदी हिस्सा रईसों की जेब से आ रहा है।** यही नहीं केन्द्र सरकार ने 2020-21 में देश के कॉरपोरेट घरानों को **1 लाख करोड़ से ज़्यादा की टैक्स छूट** दी थी। यह टैक्स छूट मनरेगा के बजट से भी ज़्यादा थी।

''गरीब के बेटे'' मोदी के मेहनतकश-विरोधी काले कारनामे

मोदी सरकार ने पूँजीपतियों को मज़दूरों की एक-एक नस से ख़ून निचोड़ लेने में समर्थ बनाने के लिए वाक़ई बहुत कड़ी मेहनत की है। इसके लिए बस मोदी सरकार द्वारा श्रम-क़ानूनों में किये गये बदलाव और 2023-24 के बजट पर एक नज़र डालना काफ़ी होगा।

भारत में बने श्रम क़ानून शुरू से ही नाकाफ़ी थे। जो क़ानून थे भी वे असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों की विशाल आबादी के लिए शायद ही कभी अमल में आते थे। उनको भी समय-समय पर पूँजीपतियों के पक्ष में बदला जाता रहा है। लेकिन अब मोदी सरकार द्वारा पूँजीपतियों को रहे-सहे श्रम क़ानूनों की अड़चन से मुक्त कर मज़दूरों के बेहिसाब शोषण करने के लिए 44 **केन्द्रीय श्रम क़ानूनों की जगह चार कोड या संहिताएँ बनायी गयी हैं** – मज़दूरी पर श्रम संहिता, औद्योगिक सम्बन्धों पर श्रम संहिता, सामाजिक सुरक्षा पर श्रम संहिता और औद्योगिक सुरक्षा एवं कल्याण पर श्रम संहिता।

पहले कोड या संहिता के तहत पूरे देश के लिए वेतन का न्यूनतम तल-स्तर निर्धारित किया जायेगा। सरकार का कहना है कि एक त्रिपक्षीय समिति इस तल-स्तर का निर्धारण करेगी, मगर इस सरकार के श्रम मन्त्री पहले ही नियोक्ताओं के प्रति अपनी उदारता दिखाते हुए **प्रतिदिन के लिए तल-स्तरीय मज़दूरी 178 रुपये** करने की घोषणा कर चुके हैं। **यानी, मासिक आमदनी होगी महज़ 4,628 रुपये!** यह राशि आर्थिक सर्वेक्षण 2017 में सुझाये गये तथा सातवें वेतन आयोग द्वारा तय किये गये न्यूनतम मासिक वेतन 18,000 रुपये का एक-चौथाई मात्र है। यही नहीं पन्द्रहवें राष्ट्रीय श्रम सम्मलेन (1957) की सिफ़ारिशों (जिसके अनुसार न्यूनतम मज़दूरी, खाना-कपड़ा-मकान आदि बुनियादी ज़रूरतों के आधार पर तय होनी चाहिए) और सुप्रीम कोर्ट के 1992 के एक निर्णय की अनदेखी करते हुए कैलोरी की ज़रूरी खपत को 2700 की बजाय 2400 पर रखा गया है और तमाम बुनियादी चीज़ों की लागत भी 2012 की क़ीमतों के आधार पर तय की गयी है।

इस कोड में 'रोज़गार सूची' को हटा दिया गया है जो श्रमिकों को कुशल, अर्द्धकुशल और अकुशल की श्रेणी में बाँटती थी। पहले ही

ज़्यादातर औद्योगिक क्षेत्रों में कुशल मज़दूरों का काम करवाकर अकुशल की मज़दूरी दी जाती रही है। अब यही काम क़ानूनी तौर पर कराया जायेगा।

इस कोड में न्यूनतम मज़दूरी की दर समयानुसार (टाइम वर्क) और मात्रानुसार (पीस वर्क) तय होगी और वेतनकाल घण्टे, दिन या महीने के हिसाब से हो सकता है। **यह नियम सुप्रीम कोर्ट के न्यूनतम मज़दूरी सम्बन्धी उन फ़ैसलों की धज्जियाँ उड़ाता है जिनके मुताबिक़ न्यूनतम मज़दूरी तय करते समय आहार-पोषण, पहनने-रहने, इलाज का ख़र्च, पारिवारिक ख़र्च, शिक्षा, ईंधन, त्योहारों, समारोहों के ख़र्च, बुढ़ापे और अन्य ख़र्चों का ध्यान रखा जाना चाहिए।**

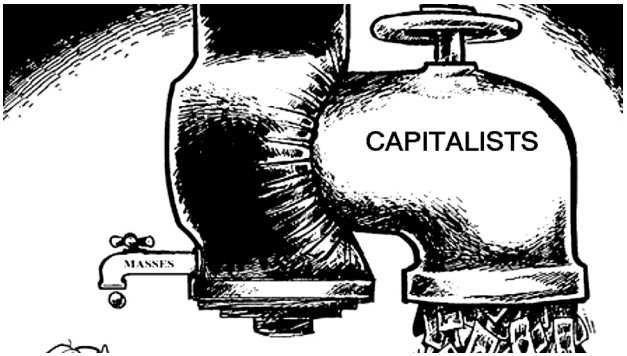

कोड में मज़दूरों से बेतहाशा काम करवाने का भी क़ानूनी इन्तज़ाम कर दिया गया है। मौजूदा व्यवस्था में दिन में 9 घण्टे से ज़्यादा काम और सप्ताह में 48 घण्टे से ज़्यादा काम ओवरटाइम कहलाता है। **ओवरटाइम की इस परिभाषा को ख़त्म करके "पूरक कार्य" और "अनिरन्तर काम" की लच्छेदार भाषा के बहाने ओवरटाइम के लिए मिलने वाली अतिरिक्त मज़दूरी को ख़त्म करने की चाल चली गयी है।** इस कोड में कम्पनियों की अनुमति के बिना उनकी बैलेंस शीट उजागर करने पर सरकारी अधिकारियों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। तर्क यह दिया गया है कि *"कम्पनियों पर विश्वास करना चाहिए!"* इस कोड में इण्टरनेट द्वारा 'सेल्फ़-सर्टिफ़िकेशन' का भी प्रावधान है, **यानी मालिक ख़ुद ही अपने को सर्टिफ़िकेट दे देगा कि उसके कारख़ाने में सारे श्रम क़ानूनों का**

पूरा पालन हो रहा है! वेतन में संशोधन के लिए तय समय सीमा जो पहले हर 5 साल में अनिवार्य थी अब उसे समाप्त कर 5 साल में समीक्षा का विकल्प जोड़ा गया है। जबकि देश में साल-दर-साल महँगाई आसमान छू रही है।

समान पारिश्रमिक अधिनियम-1976 यह सुनिश्चित करता था कि वेतन के मामले में या भर्ती करने या नौकरी की शर्तों में किसी तरह का लिंगभेद न हो। मगर वेतन संहिता से यह बात पूरी तरह से हटाकर मालिकों को स्त्री मज़दूरों को कम मज़दूरी देने की क़ानूनी छूट दी गयी है।

'व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल स्थिति संहिता' में तो असंगठित मज़दूरों को कोई जगह ही नहीं दी गयी है। केवल 10 से ज़्यादा मज़दूरों को काम पर रखने वाले कारख़ानों पर ही यह लागू होगा। इस कोड के अनुसार, किसी ख़तरनाक काम वाली फ़ैक्ट्री में कम से कम 250 वर्कर होने चाहिए या एक सामान्य फ़ैक्ट्री में 500 वर्कर होने चाहिए तभी सेफ़्टी कमेटी बनाना ज़रूरी होगा। **कारख़ाना अधिनियम**, 1948 के पुराने क़ानून में स्पष्ट किया गया था कि मज़दूर अधिकतम कितने रासायनिक और विषैले माहौल में काम कर सकते हैं, जबकि नये कोड में रासायनिक और विषैले पदार्थों की मात्रा का साफ़-साफ़ ज़िक्र करने के बजाय उसे निर्धारित करने का काम राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया गया है।

सामाजिक सुरक्षा संहिता के द्वारा सारी सुरक्षा मालिकों को, सारी असुरक्षाएँ मज़दूरों के नाम कर दी गई हैं। करोड़ों असंगठित मज़दूर तो पहले ही ई.एस.आई., पी.एफ़., स्वास्थ्य बीमा, पेंशन आदि सामाजिक सुरक्षा से वंचित रहते थे। इस कोड में मज़दूरों के कल्याण की नीतियाँ बनाने और लागू कराने वाली संस्थाओं के रूप में राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा परिषद, केन्द्रीय बोर्ड और राज्यों के बोर्ड की बात की गयी है जिनमें ट्रेड यूनियनों की कोई भूमिका नहीं होगी। सामाजिक सुरक्षा के लिए फ़ण्ड बनाने के बारे में ढेर सारी जुमलेबाज़ी की गयी है लेकिन कुछ भी ठोस नहीं है कि इसके लिए पैसे कहाँ से आयेंगे और मज़दूरों के लिए उन्हें कैसे ख़र्च किया जायेगा।

ऐसी ही लच्छेदार बातें करते हुए कोड में कामगार स्त्रियों की बड़ी आबादी को मातृत्व लाभों से वंचित कर दिया गया है। प्रसूति के ठीक पहले और बाद में स्त्रियों से काम कराने पर रोक लगायी गयी है। लेकिन इसी में आगे कहा

गया है कि जो स्त्री "अपनी प्रसूति के ठीक पहले के 12 महीनों के दौरान कम से कम 80 दिनों तक किसी प्रतिष्ठान में काम कर चुकी होगी" वह मातृत्व लाभ पाने की हक़दार होगी।

सरकार तीन पुराने श्रम क़ानूनों – औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 और औद्योगिक रोज़गार अधिनियम 1946 को हटाकर उनकी जगह औद्योगिक सम्बन्ध श्रम संहिता लेकर आयी है। जिसके तहत **जिन कारख़ानों में 300 तक मज़दूर हैं, उन्हें लेऑफ़ या छँटनी करने के लिए सरकार की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होगी (पहले यह संख्या 100 थी)**। प्रबन्धन को 60 दिन का नोटिस दिये बिना मज़दूर हड़ताल पर नहीं जा सकते। अगर किसी औद्योगिक न्यायाधिकरण में उनके मामले की सुनवाई हो रही है, तो फ़ैसला आने तक मज़दूर हड़ताल नहीं कर सकते। **इन बदलावों का सीधा मतलब है कि कारख़ानों में हड़ताल लगभग असम्भव हो जायेगी** क्योंकि अगर 300 मज़दूरों से कम हैं (जो काग़ज़ पर दिखाना बिल्कुल आसान है), तो कम्पनी हड़ताल के नोटिस की 60 दिनों की अवधि में आसानी से छँटनी करके नये लोगों की भर्ती कर सकती है।

इस संहिता के तहत कम्पनियों को मज़दूरों को किसी भी अवधि के लिए ठेके पर नियुक्त करने का अधिकार मिल गया है। इसे **फ़िक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेण्ट** का नाम दिया गया है। मतलब साफ़ है कि ठेका प्रथा को पूरी तरह से क़ानूनी जामा पहनाने की तैयारी हो चुकी है।

नये लेबर कोड में फ़ैक्ट्री की परिभाषा बदल दी गई है। **नयी परिभाषा के अनुसार, बिजली से काम वाले कारख़ाने में कम से कम 40 मज़दूर होंगे तभी उनपर श्रम क़ानून लागू होंगे। पहले ये संख्या 20 मज़दूरों की थी।** इसके अलावा जहाँ बिजली से काम नहीं होता है, वहाँ इनकी संख्या 10 से बढ़ा कर 20 मज़दूर कर दिया गया है। यानी कम से कम 20 मज़दूर हों तभी कारख़ाने में श्रम क़ानून लागू होगा। **यानी मज़दूरों की एक बड़ी संख्या को श्रम क़ानूनों के दायरे से बाहर कर दिया गया है।** अब उनकी ज़िम्मेदारी न तो फ़ैक्ट्री मालिक की होगी न सरकार की।

ग्रामीण इलाकों में श्रम क़ानून और उनको लागू करने का ढाँचा पहले भी नहीं

था। अब नये लेबर कोड में तो ग्रामीण क्षेत्र को श्रम क़ानूनों के दायरे में लाने और कानूनी ढाँचा खड़ा करने का तो सवाल ही नहीं उठता।

हालाँकि यूनियनों/संगठनों के तीव्र विरोध के कारण इसे अभी लागू नहीं किया जा सका है लेकिन आने वाले समय के लिए श्रम क़ानूनों का रोडमैप मोदी सरकार ने तैयार कर दिया है।

मोदी सरकार के ग़रीब प्रेम को 2023-24 के वर्तमान बजट से भी समझा जा सकता है। इस बजट में मोदी सरकार ने जनता के हर हिस्से पर गाज गिरायी है। इसे समझने के लिए हम एक निगाह केन्द्रीय बजट पर डालते हैं। नीचे दी गयी तालिका ख़ुद ही सारी सच्चाई बयां कर रही है।

मद	2022 में आबण्टित बजट	2023 में आबण्टित बजट
प्रधानमन्त्री ग़रीब कल्याण योजना	10 किलो मुफ़्त अनाज	5 किलो मुफ़्त अनाज
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून	2.14 लाख करोड़	1.37 लाख करोड़
मिड-डे-मील योजना (अब प्रधानमन्त्री पोषण योजना)	12,800 करोड़	11,600 करोड़
प्रधानमन्त्री किसान योजना	70,000 करोड़	60,000 करोड़
मानरेगा	89,400 करोड़	61,000 करोड़
खाद पर सब्सिडी	2.25 लाख करोड़	1.75 लाख करोड़
श्रम व रोज़गार मन्त्रालय	16,084 करोड़	12,474 करोड़
श्रम कल्याण मन्त्रालय	120 करोड़	75 करोड़
प्रधानमन्त्री कर्मयोगी मानधान पेंशन योजना	50 करोड़	3 करोड़
आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना	6,400 करोड़	2,272 करोड़

पूँजीपतियों को सौगात

मद	2022 में आबण्टित बजट	2023 में आबण्टित बजट
छोटे-मझोले पूँजीपतियों के उपक्रमों के लिए	5455 करोड़	21,422 करोड़
बड़े पूँजीपतियों के फायदे के लिए अवरचनागत परियोजनाओं में निवेश	7.28 लाख करोड़	10 लाख करोड़

मोदी सरकार ने मज़दूरों, गरीब किसानों, महिलाओं यानी आम जनता के सभी हिस्सों पर चोट की है। बाकी उन पूँजीपतियों के लिए अच्छे दिन लाने में मोदी सरकार ने कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है जिन्होंने मोदी को सत्ता में लाने के लिए अपनी तिजोरी का मुँह खोल दिया था।

तो आख़िर हम मज़दूर-मेहनतक़श क्या करें?

साथियो! मौजूदा मुनाफ़ाकेन्द्रित पूँजीवादी व्यवस्था मज़दूर वर्ग और आम मेहनतक़श आबादी को यही दे सकती है। भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, आप जैसी पूँजीवादी पार्टियों का काम पूँजीपति वर्ग द्वारा मज़दूर वर्ग को अधिक से अधिक निचोड़ने का प्रबन्ध करना है। सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल (लिबरेशन), एसयूसीआई जैसी नकली वामपन्थी पार्टियाँ और उनसे जुड़ी यूनियनें मज़दूर वर्ग को दुअन्नी-चवन्नी की लड़ाई में उलझाकर इसी मुनाफ़ा-केन्द्रित व्यवस्था में उनका भ्रम बरक़रार रखने का काम करती हैं। वास्तव में, जब तक मशीन, कारखाने आदि उत्पादन के साधन और ज़मीन बड़े-बड़े परजीवी धन्नासेठों व अमीरज़ादों के हाथ में हैं, जब तक राज-काज पर इन्हीं धनपशुओं के प्रतिनिधि क़ाबिज़ हैं और सारे फ़ैसले लेने की ताक़त उनके हाथ में है तब तक मज़दूर वर्ग और समूची मेहनतक़श आबादी शोषण से मुक्त नहीं हो सकती। मज़दूर वर्ग की सच्ची मुक्ति तभी सम्भव है जबकि इस मुनाफ़ा-केन्द्रित पूँजीवादी व्यवस्था को

ध्वस्त कर उत्पादन के साधनों पर मेहनतक़शों के सामूहिक मालिकाने की व्यवस्था कायम हो, राज-काज पर मज़दूर वर्ग के प्रतिनिधि क़ाबिज़ हों और फ़ैसला लेने की ताक़त उनके हाथ में हो। **शहीदेआज़म भगतसिंह** जैसे महान क्रान्तिकारी ऐसे ही समाज के निर्माण के लिए लड़ते हुए शहीद हुए थे। एक समतामूलक समाज के निर्माण का सपना आज भले ही दूर की कौड़ी लगता हो, भले ही लूट और झूठ पर टिके मीडिया ने मज़दूर वर्ग के शानदार क्रान्तिकारी अतीत को धूल और राख के नीचे दबाकर मज़दूर वर्ग के आत्मविश्वास को एक हद तक कमज़ोर करने में सफलता पायी हो, लेकिन यह स्थिति हमेशा क़ायम नहीं रहेगी। मज़दूर वर्ग अतीत की क्रान्तियों और अपने क्रान्तिकारी पुरखों को जानेगा, उनसे सीखेगा और क्रान्तिकारी विचारधारा से लैस होकर इस लूट की चक्की को उखाड़ फेंकेगा।

मौजूदा फ़ासीवादी मोदी सरकार मज़दूरों-मेहनतक़शों, ग़रीब किसानों व जनता की सबसे बड़ी दुश्मन है। मालिकों, ठेकेदारों, दलालों, धनी पूँजीवादी फार्मरों व ज़मीन्दारों, प्रापर्टी डीलरों, बिल्डरों, सट्टेबाज़ों और बड़े दुकानदारों की मन्दी के दौर में सबसे अच्छी सेवा मोदी और संघ परिवार ही कर सकते हैं। क्योंकि आज मुनाफ़े की गिरती औसत दर के संकट से बिलबिलाये हुए धन्नासेठों के लिए ज़रूरी है कि मज़दूरों के सारे हक़-हुकूक छीनकर उनकी मज़दूरी को नीचे गिराया जाये, आवाज़ उठाने पर उन पर लाठियाँ-गोलियाँ चलायी जायें और जो भी उनके पक्ष में बोलने वाले लोग हैं, उन्हें झूठे मुक़दमे लगाकर जेलों में भर दिया जाये। यह सारे कुकर्म मोदी-शाह की तानाशाहाना फ़ासीवादी सरकार के अलावा भला इतनी कुशलता से कौन कर सकता है? यही कारण है कि अम्बानी, अडानी, टाटा, बिड़ला जैसे सारे धन्नासेठों ने अन्य पार्टियों को नाममात्र का चन्दा दिया लेकिन भाजपा पर नोटों की ऐसी बारिश की है कि उसकी

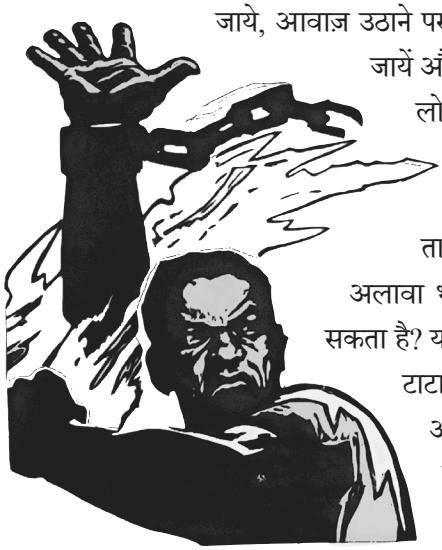

सम्पत्ति रु. 5000 करोड़ के क़रीब पहुँच गयी है! **दूसरी वजह यह है कि यह संघ परिवार और भाजपा के मोदी-शाह की जोड़ी ही है जो हम मज़दूरों-मेहनतक़शों को धर्म के नाम पर आपस में ही लड़वा कर एकजुट होने से रोकती है, क्योंकि अगर जाति-धर्म के झगड़े छोड़कर मज़दूर-मेहनतक़श एक हो गये तो इनका सारा धनबल-बाहुबल धरा का धरा रह जायेगा और इनके तख्त-ताज उछलते देर नहीं लगेगी।** इसलिए हमें इनकी साज़िश को समझना है साथियो! मज़हब-धर्म, जाति, भाषा पर बिल्कुल नहीं बँटना है और एक होकर अपनी रोज़मर्रा की ज़िन्दगी के अधिकारों को लड़कर छीनना है। मौजूदा फ़ासीवादी उभार को भी हम मज़दूर-मेहनतक़श ही परास्त कर सकते हैं और यह लड़ाई भी पूरी व्यवस्था को बदलने की लड़ाई से जुड़ी हुई है, जो कि हमारा दूरगामी लक्ष्य है।

लेकिन इस निर्णायक लड़ाई तक पहुँचने के लिए सबसे पहले हमें अपने ज़िन्दा होने का सबूत देना पड़ेगा। सबसे पहले हमें उन अधिकारों को छिनने से बचाना होगा जो हमारे पुरखों के संघर्ष की बदौलत मौजूदा व्यवस्था के दायरे में हमें मिले थे या यूँ कहें कि जिन अधिकारों को देने के लिए हमने धन्नासेठों की सरकारों और व्यवस्था को संगठित लड़ाई करके मजबूर कर दिया था। आज जब हमें धर्म और जाति पर लड़ाया जा रहा है, बाँट दिया गया है, तो मौजूदा हुक्मरान एक-एक कर वे सारे अधिकार हमसे छीन रहे हैं। ऐसे में, हमें उन अधिकारों के लिए फिर से संगठित होकर लड़ना होगा। पूँजीवादी संविधान द्वारा मज़दूरों से किये गये वायदों पर हमें अपना दावा ठोंकना होगा तथा अपने अधिकारों को और अधिक बढ़ाने के लिए देशव्यापी संघर्ष शुरू करना होगा। इस लड़ाई के अनुभवों से और क्रान्ति के विज्ञान के ज़रिये ही हम यह भी सीखेंगे कि अपने दूरगामी लक्ष्य को हमें कैसे पूरा करना है। इसलिए पहला तात्कालिक लक्ष्य है अपनी आज की सबसे बुनियादी और प्रासंगिक माँगों को समझना, उन पर लोगों को जागरूक बनाना और उन पर गोलबन्द और संगठित होकर एक जुझारू संघर्ष लड़ना। **भगत सिंह जनअधिकार यात्रा** इसी ज़रूरी काम को शुरू कर रही है और इसमें आपकी भागीदारी अनिवार्य है।

मज़दूरों-मेहनतक़शों की बुनियादी माँगें :

'भगत सिंह जनअधिकार यात्रा' इसी संघर्ष की एक अहम कड़ी है। यह यात्रा देश के 10 राज्यों में मज़दूर-मेहनतक़श साथियों के बीच इन माँगों को लेकर जागृति लायेगी, उन्हें इन माँगों पर गोलबन्द और संगठित करेगी। '**भारत की क्रान्तिकारी मज़दूर पार्टी (RWPI)**' की अगुवाई में और कई प्रगतिशील यूनियनों व जनसंगठनों की भागीदारी वाली यह यात्रा कई चरणों में चलेगी और मोदी सरकार या किसी भी आने वाली सरकार को इन पर घेरेगी और इन्हें पूरा करने के लिए समझौताविहीन संघर्ष करेगी। हम अपने मज़दूर व मेहनतक़श साथियों को निम्न माँगों पर संगठित होने और सरकार को घेरने का आह्वान करते हैं-

1. **काम के अधिकार को मूलभूत अधिकारों में शामिल किया जाये।** इसके लिए आवश्यक संवैधानिक संशोधन किया जाये और **'भगतसिंह राष्ट्रीय रोज़गार गारण्टी कानून'** को पारित किया जाये जिसके तहत साल भर के पक्के रोज़गार की गारण्टी सरकार दे। रोज़गार न दे पाने की सूरत में हर बेरोज़गार को प्रतिमाह रु.10000 बेरोज़गारी भत्ता दे।

2. तकनीकी विकास के मौजूदा स्तर को ध्यान में रखते हुए **6 घण्टे के कार्यदिवस** का क़ानून बनाया जाये। महँगाई के मौजूदा स्तर को देखते हुए **दैनिक न्यूनतम मज़दूरी रु. 800 और मासिक रु.** 25,000 की जाये और महँगाई की दर के अनुसार ही उसे नियमित अन्तराल पर बढ़ाया जाये।

3. **कुख्यात मज़दूर-विरोधी चारों नये लेबर कोड को तत्काल रद्द किया जाये।**

4. मानकों के हिसाब से **मज़दूरों की सुरक्षा का पूरा इन्तज़ाम** किया जाये। कम मज़दूरी के कारण मज़दूरों को स्वैच्छिक या जबरिया ओवरटाइम करने की बाध्यता ख़त्म की जाये। रात्रि कार्य (नाइट शिफ़्ट) को समाप्त किया जाये और केवल उन उद्योगों में इसकी आज्ञा दी जाये, जिन उद्योगों में यह अपरिहार्य है और उनमें भी रात्रि कार्य की अवधि चार घण्टों से ज़्यादा नहीं

होनी चाहिए। इसका संचालन हर उद्योग में मज़दूरों की यूनियनों की देखरेख में होना चाहिए। **श्रम क़ानूनों में उपरोक्त बातों को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक संशोधन किये जायें। उनके उल्लंघन को आपराधिक कृत्य की श्रेणी में डाला जाये तथा इसके लिए कम-से-कम तीन माह का ग़ैर-ज़मानती कारावास होना चाहिए।**

5. **खेतिहर मज़दूरों समेत ग्रामीण मज़दूरों को श्रम क़ानून के दायरे में लाया जाये और उनके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये उपयुक्त ढाँचे का निर्माण किया जाये।**

6. **आशा-आँगनवाड़ी-पंचायत मित्र और अन्य स्कीम वर्कर्स को कर्मचारी का दर्ज़ा और पे ग्रेड के अनुसार वेतन दिया जाये।**

7. **हर प्रकार के नियमित कार्य में ठेका-संविदा और अस्थायी काम को समाप्त किया जाये।**

8. **हर शाखा में स्त्रियों को पुरुषों के समान वेतन की व्यवस्था लागू करवाई जाये। सभी स्त्री मज़दूरों को प्रसव के छह महीने पहले और छह महीने बाद तक पूर्ण वेतन के साथ छुट्टी दी जाये।** जिन भी उपक्रमों में स्त्रियाँ काम करती हैं, वहाँ पर कारख़ानों के भीतर **साफ-सुथरे शौचालय, पालना घर व नर्सरी** की समुचित व्यवस्था की जाये।

9. मज़दूरों और आम मेहनतकश आबादी के लिए **राजकीय बीमा की पूर्ण व्यवस्था** की जाये। इसके तहत हर प्रकार की विकलांगता, बीमारी, बच्चे के जन्म, जीवन-साथी की मृत्यु, अनाथ होने पर सरकार द्वारा बीमा राशि दी जाये। इसके लिए धन विशेष टैक्स लगाकर पूँजीपतियों से जुटाया जाये।

10. **घरेलू कामगारों के लिये अलग लेबर एक्सचेंज का गठन किया जाये जिसमें कि उनका पंजीकरण हो और किसी को घरेलू कामगार की ज़रूरत पड़ने पर इस एक्सचेंज द्वारा कामगार मुहैया कराये जायें।** घरेलू कामगारों को न्यूनतम मज़दूरी समेत श्रम क़ानूनों में दिये गये सभी अधिकार दिये जायें। घरेलू कामगारों के सम्मान, घरों में उनके साथ बराबरी के बर्ताव और उनकी रोज़गार-सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु अलग

विशेष क़ानून बनाया जाये। घरेलू कामगारों की पहचान और पंजीकरण के साथ-साथ नियोक्ताओं की भी जाँच, पहचान और पंजीकरण सुनिश्चित किया जाये।

11. **तथाकथित लेबर चौक के मज़दूरों के लिये भी अलग लेबर एक्सचेंज का गठन किया जाये। जिनमें उनकी दिहाड़ी न्यूनतम मज़दूरी के अनुसार हो और काम के घण्टे विनियमित कराये जायें।**

12. **किसी भी नियोक्ता द्वारा 7 या उससे ज़्यादा दिनों के लिये मज़दूर को काम पर रखने पर सवैतनिक साप्ताहिक अवकाश जाये।**

13. **श्रम विभाग में बड़े पैमाने पर भर्ती करके उसका विस्तार किया जाये।** नये श्रम निरीक्षक, कारख़ाना निरीक्षक व ब्वायलर निरीक्षकों की इतनी संख्या में भर्ती की जाये कि सभी आर्थिक इकाइयों की नियमित और गहरी जाँच की जा सके। सभी निरीक्षण दलों को 'थ्री-इन-वन' के सिद्धान्त पर गठित किया जाये, जिसमें सरकार द्वारा नियुक्त निरीक्षक, मज़दूर संगठनों/यूनियनों के चुने हुए प्रतिनिधि, मालिकों के प्रतिनिधि हों। इसमें मज़दूर प्रतिनिधियों की बहुसंख्या हो।

14. **सभी औद्योगिक इकाइयों में श्रम और उत्पादन के प्रबन्धन का कार्य मज़दूरों के चुने हुए प्रतिनिधियों, प्रबन्धकों और तकनीशियनों की 'थ्री-इन-वन' कमेटियों को दिया जाये।** उत्पादन की गति और उसके लक्ष्य इस कमेटी द्वारा ही निर्धारित किये जाने चाहिए।

15. **सरकारी विभागों में निजीकरण की नीतियाँ वापस ली जायें।**

16. नयी पेंशन स्कीम को रद्द करके **पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया जाये।**

17. **मज़दूरों व कर्मचारियों के हड़ताल जैसे जनवादी अधिकारों के दमन के लिये बनाये गये एस्मा जैसे क़ानूनों को ख़त्म किया जाये।**

18. सभी मेहनतकश लोगों के लिये **सरकारी आवास की व्यवस्था** की जाये। सभी ख़ाली पड़े निजी अपार्टमेण्टों, फ़्लैटों व मकानों को सरकार ज़ब्त कर उन्हें भोगाधिकार के आधार पर मेहनतकशों को आवण्टित करे।

19. **सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष करों जैसे एसजीएसटी/जीएसटी, वैट, सेस पर तत्काल रोक लगाकर प्रगतिशील प्रत्यक्ष करों की व्यवस्था लागू की जाये।**

20. **सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशनिंग की प्रभावी व्यवस्था का निर्माण किया जाये और हर इलाक़े में सब्सिडाइज़्ड सरकारी राशन की दुकानें खोली जायें।** मज़दूरों के लिए सब्सिडाइज़्ड भोजनालय खोले जायें।

21. **स्कूली उम्र (सोलह साल) से कम उम्र के नवयुवकों व बच्चों द्वारा काम कराये जाने पर पूरी तरह रोक लगायी जाये।** 16 से 18 वर्ष के मज़दूरों के काम के घण्टे चार से ज़्यादा नहीं होने चाहिए।

22. स्त्री मज़दूरों वाले सभी उद्योगों के लिए **स्त्री श्रम निरीक्षकों** की व्यवस्था की जाये।

23. सभी उद्योगों के लिए साफ़-सफ़ाई और हाईजीन के कड़े नियम-क़ानून बनाये जायें जिसके अनुसार सभी औद्योगिक इकाइयों में साफ़-सुथरे बाथरूमों, शौचालय आदि की व्यवस्था हो। इसकी जाँच हेतु श्रम विभाग में एक सैनिटरी इंस्पेक्टोरेट का गठन किया जाये।

24. श्रम क़ानूनों में उपरोक्त बातों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संशोधन किये जायें और उनके उल्लंघन को दण्डनीय अपराध घोषित किया जाये।

मेहनतकश की वर्ग एकता ज़िन्दाबाद !

इन्क़लाब ज़िन्दाबाद !!